छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक 15 जून, 2009

क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र :: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005), की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ;–

:: नियम ::

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009'' है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005);

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धाराएं ;

(ग) अन्य समस्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में समनुदेशित किये गए हैं।

3. **अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित हो** :– सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अन्तर्गत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग–अलग आवेदन करेगा।

परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग–अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,**

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

12/6/09

निरन्तर.........2.

C-3\E:\Kushwaha\Orders\I

क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 15 जून, 2009

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र, दिनांक 15 जून, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

12/6/09

निरन्तर.........3

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(RIGHT TO INFORMATION CELL)
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR

:: **NOTIFICATION** ::

Raipur, Dated 15 June, 2009

No. F 2-10/2008/1-RTI :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government hereby makes the following rules, namely ;-

RULES

1. **Short title and commencement -** (1) These Rules may by called "The Chhattisgarh Right to Information (submission of application) Rules, 2009;

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette"

2. **Definitions -** In these rules, unless the context otherwise reuquires, -

   (a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005);

   (b) "Section" means the sections of the Act;

   (c) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Request relate only to single subject matter -** A request in writing for information under section 6 of the Act shall relate to one subject matter and it shall not ordinarily exceed one hundred and fifty words. If an applicant wishes to seek information on more than one subject matter, he shall make separate applications:

   Provided that in case, the request made relates to more than one subject matter, the Public Information Officer may respond to the request relating to the first subject matter only and may advise the applicant to make separate application for eact of the other subject matters.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Mishra)
Joint Secretary
Government of Chhattisgarh
General Administation Department

12/6/09

Cont....4

C-3\E:\Kushwaha\Orders\3

पृ0 क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 15 जून, 2009

प्रतिलिपि :–

(1) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली,

(2) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर,

(3) महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर,

(4) सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,

(5) रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.),

(6) सचिव, मुख्यमंत्रीजी, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर,

(7) समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण,

(8) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर,

(9) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, रायपुर,

(10) आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

(11) सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर (छ0ग0),

(12) समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

(13) संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर,

(14) संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(15) नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

15.6.09

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

C-3\E:\Kushwaha\Orders\4